

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270349  
SG-DL-E-20022026-270349असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |                                                  |                            |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 55] | दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947     | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 470 |
| No. 55] | DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947 | [N. C. T. D. No. 470       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

फा. सं. 8/108/एनसीओआरडी/2023/गृह पुलिस-II/275-286.— स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 तथा उसके अंतर्गत जारी परिचालन नियमावली के अनुसरण में, और निवारक निरोध मामलों से संबंधित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत निवारक निरोध के मामलों की जांच, समीक्षा तथा सिफारिश हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति का गठन करते हैं, जैसा कि प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया गया है:—

## • अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति की संरचना:

- |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली                             | — अध्यक्ष |
| 2. प्रधान सचिव (वि०न्या० एवं वि०का०)                | — सदस्य   |
| 3. संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध)                     | — सदस्य   |
| 4. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी दिल्ली (या उनके नामिति) | — सदस्य   |

5. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के प्रतिनिधि — सदस्य
6. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रतिनिधि — सदस्य
- अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) कमेटी के कार्य:—
  - पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम, 1988 के अंतर्गत निवारक निरोध हेतु प्रायोजक एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना।
  - भौतिक साक्ष्य, अपराध की प्रकृति तथा सार्वजनिक व्यवस्था में आरोपी द्वारा उत्पन्न किए गए खतरे का मूल्यांकन करना।
  - अपने निष्कर्षों के आधार पर रोधक प्राधिकारी को सिफारिशें करना।
  - अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति की सिफारिशें परामर्शी प्रकृति की होंगी तथा रोधक प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है।
- अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) कमेटी की प्रक्रिया:—
  - अनुवीक्षण समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी।
  - समिति, प्रायोजक एजेंसी से अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकती है, यदि आवश्यक हो तो।
  - हिरासत आदेश जारी करने का अंतिम निर्णय, व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर, निरोधक प्राधिकरण पर निर्भर करेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
नितिन पाणिग्राही, उप-सचिव (गृह)

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 17th February, 2026

**F. No. 8/108/NCORD/2023/HP-II/275-286.**— In accordance with the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and the Operational Manual issued there-under, and for the purpose of streamlining the procedure relating to preventive detention cases, the Competent Authority hereby constitutes a Screening Committee comprising the following officers to examine, review and recommend cases of preventive detention under the said Act, as proposed by the sponsoring authority:-

- Composition of the Screening Committee:
  1. Commissioner of Police, Delhi — Chairman
  2. Pr. Secretary (LJ & LA) — Member
  3. Jt. Commissioner of Police (Crime) — Member
  4. Zonal Director, NCB Delhi (Or his nominee) — Member
  5. Representative of Directorate of Revenue Intelligence (DRI) — Member
  6. Representative of Central Bureau of Investigation (CBI) — Member

- Functions of the Screening Committee:-
  - To scrutinize proposals received from sponsoring agencies for preventive detention under PITNDPS Act, 1988.
  - To evaluate the material evidence, nature of offences, and threat to public order posed by the accused.
  - To make recommendations to the Detaining Authority based on its findings.
  - The recommendations of the Screening Committee shall be advisory in nature and not binding on the Detaining Authority.
- Procedure of Screening Committee:-
  - The Screening Committee shall meet as and when required.
  - The Committee may seek additional information or clarification from the sponsoring agency, if necessary.
  - The final decision on issuing detention orders shall rest with the Detaining Authority, based on subjective satisfaction.

This order shall come into effect immediately and shall remain in force until further order.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

NITIN PANIGRAHI, Dy. Secy. (Home)